न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –199/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/247

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हिदायत खां पुत्र नसीर खां जाति मुसलमान देशवाली निवासी करकवाल तहसील मेडता जिला नागौर, राजस्थानं।		1. पटवारी हल्का, पटवार क्षेत्र मौररा तहसील मेडता जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता सिटी जिला नागौर।

उपस्थितिः–

1. **अपीलान्ट की ओर से वकील श्री पीर मोहम्मद खान**
2. **रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।**

निर्णय **दिनांक** 06/09/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या–03/2022 सरकार बनाम हिदायत खां में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी पंचायत समिति मौररा के द्वारा तहसीलदार साहब के नाम से एक रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 को तैयार कर प्रस्तुत की गई कि ग्राम करकवाल के खसरा नम्बर 83 रकबा 1.98 हैक्टेयर में से 0.008 हैक्टेयर किस्म भूमि बारानी 2 व आस पास के नम्बरो की प्रति हैक्टेयर दर 5/– रूपये श्री हिदायत खां पुत्र नसीर खां जाति देशवाली मुसलमान द्वारा संवत 2079 में फसल जरिये पक्की दीवार, निर्माण में काश्त, बाडा, मकान के नाजायज कब्जा कर लिया हैं। जिस पर तहसीलदार द्वारा पत्रावली संख्या 03/2022 कायम कर प्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट दिनांक 12.05.2022 को प्रथम पेशी पर जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा, तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 03.06.2022 पर आगामी पेशी अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 14.06.2022 बताई गई, लेकिन दिनांक 03.06.2022 को अपीलांट अधिवक्ता को जो पेशी बताई गई, वह 14.06.2022 बताने के पश्चात आदेशिका में 13.06.2022 कर दी गई, जिसकी सूचना अपीलांट के अधिवक्ता व अपीलांट को नहीं दी गई व दिनांक 13.06.2022 को निर्णय पारित कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में मातहत न्यायालय ने इसकी मात्र खानापूर्ति की है तथा अपीलांट को किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

करने का सम्पूर्ण अवसर नही दिया गया है। इसलिए विधि सम्मत निर्णय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त प्रकरण में पटवारी पंचायत मौररा द्वारा जो रिपोर्ट तहसीलदार साहब के नाम से तैयार की हुई हैं, उसमे खसरा नम्बर 83 में संवत 2079 में फसल जरिये पक्की दीवार निर्माण करना बताया गया है, लेकिन पटवारी द्वारा तैयार उक्त रिपोर्ट कहा के तहसीलदार को पेश की है तथा किस तहसीलदार के नाम से तैयार की गई हैं, ऐसा उक्त रिपोर्ट में कहीं भी अंकित नहीं है। पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट राजनैतिक दबाव व प्रभाव के कारण तैयार की गई है।

तहसीलदार मेडता के पास उक्त रिपोर्ट पेश होने के पश्चात सर्वप्रथम तहसीलदार मेडता ने उक्त प्रकरण किस दिनांक पर व किस आधार पर दर्ज किया, ऐसा भी आदेशिका में कहीं अंकन नही है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तारीख पेशी दिनांक 12.05.2022 का जो नोटिस अपीलांट को दिया गया हैं, उसमे भी यह कहीं अंकित नही किया गया है कि किस तारीख को क्या फसल बो कर या क्या चीज बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। केवल मात्र संवत 2079 में अतिक्रमण करना लिखा हैं, जो निराधार व गलत है।

तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.05.2022 अपीलांट ने 12.05.2022 को जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया तथा जवाब हेतु समय चाहा, जिस पर आगामी पेशी अपीलांट अधिवक्ता को दिनांक 03.06.2022 बताई गई, दिनांक 03.06.2022 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होकर जवाब हेतु समय चाहने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा अपीलांट व अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 14.06.2022 बताई गई, अपीलांट अधिवक्ता पेशी लेकर चले गये, तत्पश्चात आदेशिका लिखी गई, इसमे आगामी पेशी दिनांक 13.06.2022 कर दी गई, जिसकी जानकारी अपीलांट व उसके अधिवक्ता को नही दी गई, अपीलांट के अधिवक्ता बताई गई पेशी दिनांक 14.06.2022 को न्यायालय में उपस्थित आये, तब जानकारी बताई गई कि पेशी दिनांक 13.06.2022 को थी एवं दिनांक 13.06.2022 को ही अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया गया, जो निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अधिवक्ता को मुगालते में रखकर राजनैतिक दबाव के कारण आदेश पारित किया है तथा अपीलांट को साक्ष्य सफाई का अवसर नही दिया है तथा प्रकरण दर्ज होने के पश्चात दो पेशी पर ही अंतिम निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने के आदेश पारित कर दिया है, जबकि विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व उसको साक्ष्य सफाई वदस्तावेज पेश करने व जवाब पेश करने का अवसर देना चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कुछ भी नही कर आदेश पारित किया है। विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व उस पेशी पर उस पक्षकार को तथा उसके अधिवक्ताओ को आवाज लगाई जाती है तथा बार–बार आवाज लगाये जाने के उपरांत जब कोई पक्षकार उपस्थित नही होता है तो न्यायालय द्वारा स्वविवेकानुसार पक्षकार को नोटिस जारी किया जाता है तत्पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही की जाती, दिनांक 13.06.2022 को आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अपीलांट व उसके अधिवक्ता को आवाज लगाई गई हो अथवा विधि की पालना की गई हो, ऐसा कुछ भी अंकित नहीं होने से जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

संवत 2079 के वर्ष में अपीलांट द्वारा कभी भी किसी प्रकार का खसरा नम्बर 83 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि अपीलांट का वहां पर पूर्वजो के समय से मकान बना हुआ है तथा अपीलांट सपरिवार उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलांट के पिता नासिर खां व माता भी उक्त मकान में निवास करते थे। तत्पश्चात अपीलांट व उसके पिता द्वारा आंशिक पक्का निर्माण भी

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

करवा लिये गये तथा सन 1998 में उक्त मकान में अपीलांट के इमरत खां के नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है तथा उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा बतौर सबूत सन 1998 से आज दिन तक के विद्युत बिल की प्रतिलिपियां प्रस्तुत है। इसलिए भी पटवारी की यह रिपोर्ट कि संवत 2079 में नया अतिक्रमण कर लिया हो, गलत व निराधार होने से निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब व्यक्तियो के लिए चलाई गई हैं, इसलिए गरीब व्यक्तियो के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाकर सरकार व जिला कलक्टर के माध्यम से दिये जाते है। जिस पर प्रार्थी की पत्नि श्रीमती शहनाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उक्त खसरे के रकबे में सरकार द्वारा 2019 में पक्का बनाकर दिया है तथा सरकार द्वारा बतौर सहायता राशि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जमा करवाई गई हैं, इससे भी यह साबित है कि संवत 2079 में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया, फिर भी पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

ग्राम करकवाल में अपीलांट व उसके पूर्वजो के समय से मकान बना हुआ है तथा इस मकान के अलावा अन्य कोई मकान नही है तथा यही खसरा पर परिवार सहित निवास करते हैं, जो कि अपीलांट के पिता नसीर खां के नाम से जारी परिवार कार्ड, उसकी माता का परिवार राशन कार्ड, माता भंवरी का पहचान पत्र, माता भंवरी का आधार कार्ड जो इसी मकान से संबंधित हैं तथा प्रार्थी स्वयं का आधार कार्ड, प्रार्थी स्वयं का ई–श्रम कार्ड, प्रार्थी स्वयं का ड्राईविंग लाईसेन्स, अपीलांट स्वयं का पेन कार्ड जो इसी मकान से संबंधित है तथा अपीलांट की पत्नि के नाम से मिनी बैक बचत खाता की पासबुक पत्नि शहनाई के नाम राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड पत्नि शहनाई का आधार कार्ड व पेन कार्ड जो कि इसी मकान में रहते हुए बनाये गये, से संबंधित है तथा अपीलांट के पुत्र शकील खां का पहचान पत्र, शकील खां का आधार कार्ड, शकील खां का डीएल, शकील की शादी इसी मकान में की गई, शादी का पंजीयन प्रमाण पत्र, शकील की पत्नि शबनम का आधार कार्ड व पिता नसीर खां का मृत्युप्रमाण पत्र व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की पासबुक व समस्त दस्तावेजात वर्षो पुराने इसी मकान जिसमे अतिक्रमण होना बताया गया है, वह इसी मकान से संबंधित हैं, जिन समस्त दस्तावेजो के अवलोकन से भी यह साबित है कि अपीलांट सपरिवार इसी एकमात्र मकान में सपरिवार निवास करता हैं, लेकिन पटवारी द्वारा गलत रूप से संवत 2079 में अतिक्रमण करना बताया है।

खसरा नम्बर 83 के पास में खसरा नम्बर 91 हैं, जहां पर पूरा गांव ने अतिक्रमण करके पक्का मकान बना रखे हैं, शिकायती उस संबंध में हुई हैं, लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नही कर केवल अपीलांट को राजनैतिक टारगेट बनाकर अपीलाधीन कार्यवाही की गई हैं।

खसरा नम्बर 83 ग्राम करकवाड आबादी भूमि में आ चुका हैं जहां चारो तरफ पक्के मकान भी बन चुके है तथा कुछ लोगो की खातेदारी की भूमि तथा उक्त भूमि में से कुछ भूमि उच्च स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनवाडी को भी आवंटन हो चुका है तथा खसरा नम्बर 83 का विधिवत सीमांकन खातेदारो व सरकारी कार्यालयो के मध्य आज दिन तक नही करवाया गया है तथा अपीलांट को गलत रूप से अतिक्रमी बताकर आवेदन पेश किया गया हैं। विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि संबंधित खसरे का सीमांकन करवाया जाना आवश्यक होता है, ताकि यही पता चल सके कि अपीलांट अतिकमी है अथवा
किये जाने योग्य है।1
नही है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील निरस्त
पटवारी मौरारा अपीलांट के पक्के मकान को तहसीलदार के उक्त आदेश की आड में तोड देने
पर आमादा हैं, जबकि अपीलांट का उक्त मकान वर्षो पुराना बना हुआ है। अगर उक्त आदेश की आड
में पक्का मकान अपीलांट का तोड़ दिया गया तो उसको अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी हालत में नहीं हो सकती, रेस्पोडेन्ट को ऐसा करने से रोका जाता है तो उसको किसी प्रकार की

कलक्टर,नागौर

असुविधा या क्षति नहीं होगी, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपूर्णिय क्षति के बिन्दू अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध होने से भी अपीलाधीन आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही केवलमात्र कागजी तथ्यो के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं पटवारी हल्का नागौर से जिरह एवं अन्य साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित करने में बडी भारी कानूनी व विधिक भूल की हैं, जिससे भी निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेडता सिटी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या–03/2022 बअनवान सरकार बनाम हिदायत खां में आदेश दिनांक 13.06.2022 को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम करकवाल के खसरा नम्बर 83 रकबा 0.008 हैक्टयर किस्म गै.मु./बारानी–2 की भूमि पर पक्की दीवार निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण करने की भू–अभिलेख निरीक्षक रेण से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर दिनांक 12.05.2022 को अपीलान्ट की ओर से उसके अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर जबाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी पेशी 03.06.2022 को नियत की गई। तारीख पेशी 03.06.2022 को अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबाब हेतु अवसर चाहे जाने पर आगामी पेशी 13.06.2022 को नियत की गई, परन्तु पेशी दिनांक 13.06.2022 को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपील की ओर से उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए है और जिन्हे जबाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है।

अपीलान्ट का कथन कि दिनांक 03.06.2022 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होकर जवाब हेतु समय चाहने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा अपीलांट व अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 14.06.2022 बताई गई, अपीलांट अधिवक्ता पेशी लेकर चले गये, तत्पश्चात आदेशिका लिखी गई, इसमे आगामी पेशी दिनांक 13.06.2022 कर दी गई, वकील अपीलान्ट ने उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन सरासर गलत एवं मिथ्या कथन होने से कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

वकील अपीलान्ट का कथन कि अपीलांट द्वारा कभी भी किसी प्रकार का खसरा नम्बर 83 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि अपीलांट का वहां पर पूर्वजो के समय से मकान बना हुआ है तथा अपीलांट सपरिवार उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलांट के पिता नासिर खां व माता भी उक्त मकान में निवास करते थे। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन से ही यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर उसका स्वामित्व होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम करकवाल के खसरा नम्बर 83 रकबा 0.008 हैक्टयर किस्म गै.मु./बारानी–2 की भूमि पर पक्की दीवार बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की भू–अभिलेख निरीक्षक रेण से सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2022 सरकार बनाम हिदायत खां अन्तर्गत धरा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर दिनांक 12.05.2022 को अपीलान्ट की ओर से उसके अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर जबाब हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी पेशी 03.06.2022 को नियत की गई। तारीख पेशी 03.06.2022 को अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबाब हेतु अवसर चाहे जाने पर आगामी पेशी 13.06.2022 को नियत की गई, परन्तु पेशी दिनांक 13.06.2022 को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपील की ओर से उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए है और जिन्हे जबाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है।

हस्तगत अपील में अपीलान्ट का कथन कि दिनांक 03.06.2022 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होकर जवाब हेतु समय चाहने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा अपीलांट व अधिवक्ता को आगामी पेशी दिनांक 14.06.2022 बताई गई, अपीलांट अधिवक्ता पेशी लेकर चले गये, तत्पश्चात आदेशिका लिखी गई, इसमे आगामी पेशी दिनांक 13.06.2022 कर दी गई, वकील अपीलान्ट ने उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन बाद में सोच विचार कर बचाव में किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए अपीलान्ट का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हस्तगत अपील में वकील अपीलान्ट का कथन कि अपीलांट द्वारा कभी भी किसी प्रकार का खसरा नम्बर 83 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्कि अपीलांट का वहां पर पूर्वजो के समय से मकान बना हुआ है तथा अपीलांट सपरिवार उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलांट के पिता नासिर खां व माता भी उक्त मकान में निवास करते थे। वकील अपीलान्ट के उक्त कथन से ही यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा है, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर उसका स्वामित्व होने के संबंध में कोई ठोस विधिक दस्तावेजी साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)